



राजस्थान सरकार

Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652,

Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुखली मनोहर एवं श्री मुखली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा चक 3 ए छोटी मुखबा नं. 20 के किला नं. 3/1 में 0.1590 हैक्टे. किला नं. 4/2 में 0.2499 हैक्टे. किला नं. 5/1 में 0.0606 हैक्टे. किला नं. 6/1 में 0.0613 हैक्टे. किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 13/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 14 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 16/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 17/1 में 0.1965 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0293 हैक्टे. किला नं. 24/1 में 0.1659 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.0544 हैक्टे. यथाकुल 1.9283 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2025-26/101349 दिनांक 22.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 14.08.2025 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविनि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के विंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही किये जाने के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.05.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/632 दिनांक 13.05.2025 के एजेण्डा संख्या 09 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय योजना का नाम **Ridhi Sidhi Enclave 9 Sector 1 Extension** रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार न्यास द्वारा (जारी माँग पत्र क्रमांक ऑनलाईन राजकाज रैफ 17353593 दिनांक 25.08.2025 में अंकित राशि) अनुसार आवेदित भूमि के बाह्य विकास शुल्क की राशि 19,28,300/- रुपये में से 20 प्रतिशत की सूट की राशि 3,85,660/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 15,42,640/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 21,42,862/- रुपये एवं बीएसयूपी शैल्टर फण्ड राशि 3,24,676/- रुपये यथाकुल राशि 40,10,178/- रुपये जरिये रसीद संख्या 99-1730 दिनांक 29-08-2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्ध भूखण्ड {Resi. K-13, K-14, K-15, L-13, L-14, L-15 Each Size 40'-0" X 60'-0" Feet, K-16, L-16 Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet, K-17, L-17 Each Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Informal-A Shop-30 to Shop-37, Informal-B Shop-38 to Shop-45 Each Size 7'-6" X 20'-0" Feet, Total 10 Resi. Plots & 16 Informal Shops (Total 26 Nos.)} न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुखली मनोहर एवं श्री मुखली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

---1/3---

ATP/ PAGE405

Rajesh C. Gupta

Mauli Manohar



Signature valid

Digitally signed by Aashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.09.17 17:22:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17647492

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाइट, सड़कों किनारे होटिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईजर्स/खातेदारों को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- शेष सभी विकास कार्य ऑवर हैड वाटर टैंक निर्माण, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवेरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा रहन अन्तिम भूखण्ड को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगे।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- आवेदित भूमि का श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है।
- आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा से मास्टर प्लान की 80 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। उक्त मास्टर प्लान की 80 फीट चौड़ी सड़क को यथावत कायम किये जाने हेतु अपने स्वामित्व की भूमि में से माप 23'-6" गुणा 160'-0" फीट भूमि निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष में सड़क उपयोग हेतु जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। शेष भूमि पर योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित की है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- योजना में स्वीकृत Informal As Approved 4200 Sq. Feet एवं स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड में भविष्य की आवश्यकतानुसार दुकानें प्रस्तावित की जाती हैं तो विभागीय आदेशानुसार आवंटन/बैचान/निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होंगी एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार 'समायोजन' किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाइट का उपयोग किया जावेगा।
- योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 18 माह (निर्धारित समयावधि) में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
- टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।

---2/3---

ATP/ PAGE406

Ashok Kumar
Mullimanohar

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.09.17 17:22:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17647492

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



12. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पोलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
13. योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जावेगा एवं राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी एवं योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् ही विकासकर्ता/खातेदार द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जायेगा। रैरा में पंजीयन नहीं होने पर न्यास द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।
14. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रैरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक/खातेदार द्वारा नियमानुसार पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रैरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
15. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त पेज संख्या 1, 2, 3 अनुसार अंकित समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य हैं तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

Mullimanohar

Sahak G. n

(सहमती हस्ताक्षर प्रार्थी/खातेदार)

क्रमांक :- नियोजन/2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. खातेदार/विकासकर्ता श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुरली मनोहर एवं श्री मुरली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.)।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

---3/3---

ATP/ PAGE407

Signature valid

Digitally signed by Aseeja Kumar
Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.09.17 17:22:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17647492

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

